न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 06/2022

1. हरबंश सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह जाति रामगढिया, निवासी किलावाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. गुरजण्ट सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह जाति रामगढिया, निवासी किलावाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरमेल सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह जाति रामगढिया, निवासी किलावाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
3. बचन कौर पत्नी श्री अंग्रेज सिंह जाति रामगढिया, निवासी किलावाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
4. गुडडी पुत्री श्री अंग्रेज सिंह पत्नी मुकंद सिंह जाति रामगढिया निवासी 5 जी सहारणवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. वीरपाल कौर पुत्री अंग्रेज सिंह पत्नी श्री गुरतेज सिंह जाति रामगढिया निवासी 9–ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर इंतकाल संख्या 654 दिनांक 06.03.2020 जिसकी रूह से एकपक्षीय विधि विरूद्ध इंतकाल तस्दीक किया गया –मन्सुखी बाबत्।

उपस्थित :

1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री विजय रेवाड़, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या–1
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 ता 05 अनुपस्थित

:: आदेश::

दिनांकः 29.05.2026

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि

1. यह कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से, प्राकृतिक न्यायों के सिद्धांतों एवं विधि विरूद्ध पारित किया गया है। नगल प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलाधीन आदेश सलंग्न है।
2. यह कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1–2–4–5 के पिता तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 के पति अंग्रेज सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह के नाम वाके चक 35 एम.के. के मुरब्बा नंबर 17 के 2.024 हैक्टेयर तथा इसी चक के मुरब्बा नंबर 13–15–16–17–18 की कुल आराजी 13.747 हैक्टेयर में से 3.078 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। खातेदार अंग्रेज सिंह की मृत्यु दिनांक 03.08.2016 को हो चुकी है। खातेदार की

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मृत्यु उपरांत विरासतन नामांतरण दर्ज ना कर न्यायालय के विधि विरूद्ध आदेश की पालना में विवादित नामांतरण दर्ज किया जो निरस्ती योग्य है।

3. यह कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से बिना कोई अपीलार्थी को सूचना पत्र अथवा नोटिस दिए पारित किया गया है, चूंकि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट के पिता की मृत्यु दिनांक 03.08.2016 को हो चुकी थी तो विचारण न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विरास्तन नामांतरण दर्ज करे तदुपरांत डिग्री पारित करने वाले न्यायालय से उचित मार्गदर्शन मांगे। चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि जो मृतक के नाम 5.102 हैक्टैयर थी को अकेले रेस्पोडेंट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
4. यह कि अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन न कर पारित किया गया है। खातेदार मृतक अंग्रेज सिंह के अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट समस्त प्रथम श्रेणी के वारिस है, नामांतरण तस्दीक से पूर्व विचारण न्यायालय का कर्त्तव्य था कि क्या प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा डिग्रीधारी के पास है या नहीं की कोई जांच विचारण न्यायालय ने नहीं की विपरीत इसके प्रश्गनत कृषि भूमि में अपीलार्थी के पास 1/3 हिस्सा कब्जा काश्त में है।
5. यह कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है, विधिनुसार नामांतरण तस्दीक से पूर्व नियम 122 से 136 की पालना कतई नहीं कि जबकि विधिनुसार आदेश के संबंध में प्रभावित पक्षकारों को सम्मन किया जाकर जांच की जाती कि आदेश को चुनौतीग्रस्त किया है अथवा स्थगन आदेश तो नही? विचारण न्यायालय के हल्का पटवारी ने दिनांक 05.03.2020 को इंतकाल दर्ज किया उसी रोज गिरदावर द्वारा मिलान कर जांच की और तहसीलदार द्वारा दिनांक 07.03.2020 को स्वीकृति का आदेश पारित कर दिया।
6. यह कि यद्यपि डिग्री के आदेश को सामान्यतया विचारण न्यायालय आरोपित नहीं कर सकता किंतु बिना क्षेत्राधिकार एवं विधि विरूद्ध होने की स्थिति में डिग्री पारित किए गये न्यायालय से उचित मार्गदर्शन मांग सकता है।
7. यह कि नामांतरण एक संक्षिप्त कार्यवाही (Fiscal Proceeding) है जिसमें पक्षकारों के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है बल्कि राजस्व कर वसूल किया जा सकता है, डिग्री को सक्षम न्यायालय में चुनौतिग्रस्त किया जा चुका है तथा स्थगन आदेश भी प्रभावी है।
8. यह कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से विधि के अज्ञापक प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है। अपीलार्थी ने डिग्री के आदेश के विरूद्ध अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर स्थगन आदेश हासिल कर लिया था परंतु जिसको राजस्व रिकॉर्ड में जमा करवाने पर हल्का पटवारी ने दिनांक 02.02.2022 को बताया कि नामांतरण तो दर्ज हो चुका है। इस पर नकल का आवेदन प्रस्तुत किया जो वाद तैयार होकर उसी रोज प्राप्त हुआ। दिनांक 03.03.2022 से लेकर आज तक अपीलार्थी अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा फीस इत्यादि की व्यवस्था की। कोरोना की अवधि की पालना करते हुए यह अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है इस हेतु धारा 05 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश नामांतरण संख्या 654 दिनांक 06.03.2020 को निरस्त फरमाया जावे तो जनाब की मेहरबानी होगी।

अपील पेश होने पर दर्ज की गई। रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 02 ता 05 तामिल होने के बावजूद आदिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेंट संख्या 02 ता 05 को बार–बार रूक–रूक कर अलग–अलग समय पर आवाजे लगाई गई, परंतु रेस्पो. 2 ता 5 उपस्थित नहीं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1–2–4–5 के पिता तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 के पति अंग्रेज सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह के नाम वाके चक 35 एमके के मुरब्बा नंबर 17 के 2.024 हैक्टेयर तथा इसी चक के मुरब्बा नंबर 13–15–16–17–18 की कुल आराजी 13.747 हैक्टेयर में से 3.078 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। खातेदार अंग्रेज सिंह की मृत्यु दिनांक 03.08.2016 को हो चुकी है। खातेदार की मृत्यु उपरांत विरासतन नामांतरण दर्ज ना कर न्यायालय के विधि विरूद्ध आदेश की पालना में विवादित नामांतरण दर्ज किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा विहित प्रकिया का पालन न कर पारित किया गया है। खातेदार मृतक अंग्रेज सिंह के अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट समस्त प्रथम श्रेणी के वारिस है, नामांतरण तस्दीक से पूर्व विचारण न्यायालय का कर्त्तव्य था कि क्या प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा डिग्रीधारी के पास है या नहीं की कोई जांच विचारण न्यायालय करता जो नहीं की क्योंकि प्रश्गनत कृषि भूमि में अपीलार्थी के पास 1/3 हिस्सा कब्जा काश्त में है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से कानूनी प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामांतरण संख्या 654 दिनांक 06.03.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के प्रकरण संख्या 817/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2020 के आदेश की पालना में नामांतरण संख्या 654 दिनांक 06.03.2020 दर्ज किया गया है। तहसीलदार, सादुलशहर के द्वारा स्वयं कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, बल्कि उपखंड अधिकारी, सादुलशहर के आदेश की पालना में आदेश पारित किया गया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर के इंतकाल संख्या 654 दिनांक 06.03.2020 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर के इंतकाल संख्या 664 दिनांक 06.03.2020 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त अपील तहसीलदार, सादुलशहर के इन्तकाल 664 दिनांक 06.03.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जबकि तहसीलदार, सादुलशहर का कोई आदेश नहीं है। तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के प्रकरण संख्या 817/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना में विवादित इंतकाल संख्या 664 दिनांक 06.03.2020 स्वीकृत कर दर्ज किया गया है। उक्त न्यायालय के आदेश की पालना में दर्ज किये गये नामान्तरकरण की अपील अपीलेबल नहीं है उक्त अपील में तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के प्रकरण प्रकरण संख्या 817/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना में उक्त विवादित इंतकाल स्वीकृत किया गया है। इसलिए अपील मेन्टेबल नहीं होने के कारण अपील कानूनी बिन्दु पर ही काबिले खारिजी है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के प्रकरण संख्या 817/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना में भरे गये इंतकाल को बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एंव रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर